न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बिरौल, दरभंगा

Biraul P.S. Case No....111/24..
GR Case No - 221/24

23-12-2024 प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र सं0 ....29/24.... दिनांक ....10/08/24.... एवं कांड दैनिकी 'सत्य सूत्रहीन' दिखाते समर्पित किया है।

अंतिम प्रपत्र पर विद्वान अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी का कथन है कि प्रस्तुत कांड में समर्पित अंतिम प्रपत्र को स्वीकार किया जा सकता है।

प्राथमिकी, अंतिम प्रपत्र, कांड दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत कांड में सूचक की उपस्थिति हेतु दिनांक ....26/10/24.... को नोटिस निर्गत किया गया था। इसके बावजूद सूचक आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है। अभिलेख पर विरोध पत्र दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्टतः प्रतीत होता है कि सूचक को कांड की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में कोई अभिरूचि नहीं है। कांड दैनिकी में वाद की कार्यवाही को आगे बढाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता द्वारा समर्पित अंतिम प्रपत्र 'सत्य सूत्रहीन' को स्वीकार किया जाता है।

कार्यालय अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

(लेखापित)

ACJM-I, Biraul